

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-11

(सम्बन्धित सघ वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं० .....

<p>7. परियोजना / स्कीम का स्थान :</p> <p>(i) राज्य / संघ शासित प्रदेश</p> <p>(ii) जिला</p> <p>(iii) वन प्रभाग</p> <p>(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हे०)</p> <p>(v) वन की कानूनी स्थिति</p> <p>(vi) हरियाली का घनत्व प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ. आर. एल. एफ. आर.एल. -2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर. एल. 4मी० में भी संलग्न की जाय)</p>	<p>यह परियोजना रिलायंस जियो इन्फोकाम लि० के 4जी० प्रोजेक्ट द्वारा जनपद सुलतानपुर में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-330 (फैजाबाद-सुलतानपुर रोड) के किमी० 109.00 से 82.00, पुराना राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-98 (फैजाबाद-सुलतानपुर मार्ग) के किमी० 127.50 से 137.00, राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-731 (लखनऊ-वाराणसी मार्ग) के किमी० 88.00 से 86.50 एवं राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-56 (पुराना लखनऊ-वाराणसी मार्ग) किमी० 138.00 से 135.50 एवं राज्य मार्ग संख्या-34 (लखनऊ-बलिया रोड) के किमी० 147.00 से 187.00 तक कुल 80.50 किमी० (0.8341 हे०) में रिलायंस 4 जी का ओ०एफ०सी० बिछाये जाने के सम्बन्ध सम्बन्धी गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।</p> <p>उत्तर प्रदेश सुलतानपुर सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर 0.8341 हे०</p> <p>संरक्षित वन भूमि स्वामित्व रा० राज मार्ग प्राधिकरण/राज मार्ग का है। 0.02</p>
--	---

<p>(vii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।</p> <p>(viii) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य, जीवमंडल आदि का भाग है (यदि हो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)</p>	<p>ये भू-भाग भू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं हैं।</p> <p>नहीं।</p>
<p>(X) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।</p>	<p>लागू नहीं।</p>
<p>(गप) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें।</p>	<p>नहीं।</p>
<p>8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-3 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।</p>	<p>प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।</p>
<p>9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।</p>	<p>नहीं।</p>
<p>10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- (प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार। (पप) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।</p>	<p>लागू नहीं।</p> <p>लागू नहीं।</p>

<p>(पपप) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।</p> <p>(पअ) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।</p> <p>(अ) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया जाए)</p>	<p>लागू नहीं।</p> <p>—</p> <p>लागू नहीं।</p>
<p>11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)</p>	<p>संलग्न है।</p>
<p>12 विभाग / जिला प्रोफाइल</p> <p>(प) जिले का भौगोलिक क्षेत्र</p> <p>(पप) जिले का वन क्षेत्र</p> <p>(पपप) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र</p>	<p>267289 हे०</p> <p>636.878 हे०</p> <p>13 मामले</p> <p>47.965 हे०</p>
<p>(पअ) 1980 से जिला/प्रमाण में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण</p> <p>(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि</p> <p>(ख) वनेत्तर भूमि पर</p>	<p>47.965 हे०</p> <p>रिक्त</p> <p>292583 हे०</p> <p>क्षतिपूरक वनीकरण कराया गया।</p>
<p>13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की सिफारिश।</p> <p>दिनांक - 24.12.2016</p> <p>स्थान- सुलतानपुर।</p>	<p>उपरोक्त 0.8341 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सस्तुति की जाती है।</p> <p>(के०सी०ब्रह्मचर्या)</p> <p>प्रभागीय निदेशक</p> <p>सामाजिक वानिकी वन प्रभाग</p> <p>सुलतानपुर।</p> <p>सामाजिक वानिकी वन प्रभाग</p> <p>सुलतानपुर</p>